चेतावनी

मुख्य अभियंता का कार्यालय

योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक :–3 / PMC / कार्य–214 / 2011 / ....राँची, दिनांक..............................

प्रेषक,

अशोक कुमार,
मुख्य अभियंता (मो०)।

सेवा में,

ई० उमेश कुमार सिंह,
कार्य० अभि० (यॉंत्रिक)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल राँची।

विषयः– गलत तथ्य अंकित कर भ्रम फैलाकर सरकार के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में।

महाशय,

सुरंगी जलाशय योजना के सर्विस एवं इमरजेंसी गेटों की विशेष मरम्मति के क्रम में संबंधित संवेदक को संबोधित अपने पत्र में यह लिखा था कि ***" विदित हो कि उक्त कार्य आपको विभागीय स्तर से आवंटित है। इसलिए कृपया विभाग को यह प्रतिवेदन देकर संतुष्ट करना चाहेंगें कि क्या आपके द्वारा समर्पित 'Payment schedule" के क्रमांक 5 एवं दिये गये "Power Point Presentation" के Phase-I एवं 7 तथा एकरारनामा के साथ संलग्न नियम एवं शर्त संख्या–14 का कार्य संतोषजनक किया गया है"।***

आपके द्वारा यह लिखा जाना कि संवेदक को कार्य विभागीय स्तर से आवंटित किया गया है, तथ्य से परे एवं प्रशासन को दिग्भ्रमित करने वाला कार्य है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–45 दिनांकः 15.01.13 से आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया था। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त आपकी इस गलती हेतु चेतावनी दी जाती है। इसकी प्रविष्टि इनकी वार्षिक गोपनीय चारित्री में की जाय।

विश्वासभाजन,

ह० / –
(अशोक कुमार,)
मुख्य अभियंता (मो०)।

पत्रांक :–3 / PMC / कार्य–214 / 2011 / ....राँची, दिनांक..............................

प्रतिलिपिः–सभी कार्य अभि० / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित्।

ह०/–
(अशोक कुमार,)
मुख्य अभियंता (मो०)।

पत्रांक :–3 / PMC / कार्य–214 / 2011 / ......179......राँची, दिनांक......20/3/2013......

प्रतिलिपिः–**Web Manager,** जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एव प्रेषित्। इस पत्र को विभागीय **Web Site** पर **Scroll** कराया जाय।

20/3/2013
(अशोक कुमार,)
मुख्य अभियंता (मो०)।

20/3/13